कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अरूण साइकिल कम्पनी, 69, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**83 / 10**
प्रार्थी की ओर से	**श्री एस0 सी0 तिवारी, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-83 / 10, दिनांक 23.8.10 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से साइकिल एवं साइकिल रिक्शा एसेसरीज पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री एस0 सी0 तिवारी, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा एक लिखित स्पष्टीकरण पत्रावली पर दाखिल किया गया है जिसके अनुसार अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 के अन्तर्गत साइकिल / साइकिल रिक्शा एसेसरीज का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साइकिल एसेसरीज जैसे-साइकिल का चेन कवर, साइकिल की घण्टी, साइकिल स्टैंड, हैण्डिल के ग्रीप कवर, सीट कवर आदि का कोई उल्लेख उक्त प्रविष्टि में नहीं किया गया है। अत: साइकिल एसेसरीज पर कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम द्वारा अपने पत्रांक-1576, दिनांक 15.9.10, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, लखनऊ सम्भाग-ए के पत्र संख्या-1563, दिनांक 10.9.10 एवं डिप्टी कमिश्नर, खण्ड-6, वाणिज्य कर, लखनऊ के पत्र संख्या- 283, दिनांक 8.9.10 द्वारा आख्या प्रेषित की गई है जिसके अनुसार साइकिल एवं साइकिल रिक्शा एसेसरीज किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है अत: इस पर अवर्गीकृत की भाँति 12.5% की दर से करदेयता बनती है। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वश्री टी आई0 मिलर लि0 बनाम यूनियम ऑफ इण्डिया एंड अदर-1987 (31) ELG-344 बाम्बे W P N 1024 22 1981 के वाद में एसेसरीज को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

" A thing is an accessory of the other only if the thing is not essential for the but only adds to its convenience or effectiveness. "

अत: साइकिल में लगने वाली वही वस्तुएं साइकिल की पार्ट होंगी जिनके बिना साइकिल चलाई न जा सके, शेष सभी अन्य वस्तुएं जो साइकिल में लगती है वह एसेसरीज होगी तथा उन पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता होगी। अत: साइकिल एसेसरीज पर 12.5% की दर से करदेयता एवं 1% की दर से सैट भी देय होगा।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, अभिलेखों एवं प्राप्त आख्या आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि साइकिल एवं साइकिल रिक्शा से सम्बन्धित एसेसरीज का उल्लेख उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची 1, 2, 3 एवं 4 में नहीं है। अत: साइकिल एवं साइकिल रिक्शा एसेसरीज पर अनुसूची-5 के अन्तर्गत अवर्गीकृत की भाँति 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 01 अक्टूबर, 2010

ह0 / 1.10.2010

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि 1/10/10